अध्याय IV

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

4.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएल आईटी) द्वारा नए/ उन्नत केंद्रों की स्थापना

पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों को सूचना और संचार तकनीक से संबंधित शिक्षा लाभ के लिए आवासीय सुविधा के साथ उन्नत आधार भूत संरचना केन्द्र प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिकी और सूचना पौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) ने आई ई सी टी परियोजना की मंजूरी (मई 2012) दी। एन आई ई एल आई टी कार्यान्वयन एजेंसी थी और परियोजना को पांच वर्षों में पूरा किया जाना था। परियोजना पर किया गया वास्तविक व्यय ₹206.08 करोड़ (जुलाई 2020) था। हालांकि परियोजना प्रबंधन सलाहकारों को काम पर रखा गया था जिन्हें एजेंसी शुल्क का भुगतान किया जा रहा था, उसके बावजूद भी परियोजना निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। यह देखा गया कि नए स्थापित या अपग्रेड किए जाने वाले 18 केन्द्रों में से छह परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था और छह परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रदान न करने/ बाधा मुक्त भूमि उपलब्ध न करवाने, दोषपूर्ण परियोजना प्रबंधन आदि जैसे कारणों से काफी देरी हुई थी। संकाय विकास योजना में अपर्याप्तता, उद्योग इंटरफेस की कमी, एन आई ई एल आई टी के छात्रों की खराब रोजगार क्षमता, परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं थी और इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) के समाजिक और आर्थिक विकास के लिए कहे गऐ उद्देश्यों की प्राप्ति इस परियोजना में नहीं हो सकी। परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पी आर एस जी) ने परियोजना की प्रभावी रूप से निगरानी नहीं की।

₹27.58 करोड़ का व्यय नवीन/ विस्तार केन्द्रों की स्थापना के परियोजना उद्देश्यों को पूरा करने के लिये नहीं किया गया था और इसमें से ₹3.95 करोड़ का व्यय बंद कर दी गई परियोजनाओं पर व्यर्थ हो गया था। परियोजना प्रबंधन सलाहकारों के पास ₹10.71 करोड़ का अग्रिम था और इसमें से बंद कर दी गई परियोजनाओं के लिये ₹5.63 करोड़ की अग्रिम राशि दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.18 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

4.1.1 परियोजना के उद्देश्यों और गतिविधियों का परिचय

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) आधीन स्थापित एक स्वायत्तशासी वैज्ञानिक संस्थान है, की स्थापना 1994 में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) और सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित गतिविधियो के लिए एमईआईटीवाई की मानव

संसाधन विकास शाखा के रूप की गयी थी। संस्था का प्रबंधन और प्रशासन एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाता है जिसमें आईटी उद्योग के प्रख्यात शिक्षाविद और पेशेवर शामिल हैं एवं जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आठ स्थानों, त्रिपुरा (अगरतला), मिजोरम (आइजोल), सिक्किम (गंगटोक), मणिपुर (इम्फाल), अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर), नागालैंड (कोहिमा), मेघालय (शिलांग) और असम (गुवाहाटी) राज्यों सहित अखिल भारतीय स्तर पर 43 स्थानों में उपस्थिति है।

एनईआर के दूर-दराज के क्षेत्रों के छात्रों के लाभ के लिए आवासीय सुविधा के साथ उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने एचआरडी और आई इ सीटी संबंधित गतिविधियों को करने के लिए एनईआर के एनआईईएलआईटी केंद्रों में स्थायी परिसर की स्थापना के लिए परियोजना को मंजूरी दी (मई 2012), जिसमे निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

अ. गुवाहाटी (असम), इंफाल (मणिपुर), शिलांग (मेघालय), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), गंगटोक (सिक्किम) और आइजोल (मिजोरम) में **मौजूद छह एनआईईएलआईटी केंद्रों का उन्नयन**।

ब. तेजपुर (असम) और चुचुयिमलंग (नागालैंड) में **मौजूद दो एनआईईएलआईटी विस्तार केंद्रों का उन्नयन**।

स. सिलचर, कोकराझार, डिब्रूगढ़ और जोरहाट (असम में चार), चुराचांदपुर और सेनापति (मणिपुर में दो), पासीघाट और तेजू (अरुणाचल प्रदेश में दो), लुंगलेई (मिजोरम में एक) और तुरा (मेघालय में एक) में **दस नए विस्तार केंद्र स्थापित करना**।

प्रत्येक उन्नत[39]/ सेट-अप केंद्र का अपना परिसर होगा जिसमें अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, कक्षाओं की एक एकीकृत सुविधा होगी, जो प्रमाणपत्र स्तर से लेकर स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्र और शिक्षा संकाय के लिए छात्रावासों और आवासीय सुविधाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। नए केन्द्रों के मामले में, संबंधित राज्य सरकारें स्थायी परिसर के निर्माण तक निर्मित अस्थायी क्षेत्र का निःशुल्क आवंटन करेंगी। यह परियोजना इसकी मंजूरी के पांच साल के भीतर पूरी हो जाएगी और उम्मीद की गयी थी कि इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों/ औद्योगिक घरानों को आकर्षित किया जाएगा जिससे इसका समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।

एनआईईएलआईटी केंद्र उद्योग की आवश्यकता के आधार पर औपचारिक और गैर-औपचारिक दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे और स्नातकों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए और उभरती जरूरतों के अनुरूप कामकाजी पेशेवरों की तकनीकी और व्यावसायिक क्षमताओं

[39] आई ई सी टी के साथ संरेखित करने के लिए परिसर और पाठ्यक्रमों के उन्नयन के रूप में उन्नयन

को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। साथ ही यह कहा गया था कि पेश किए गए कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर विज्ञान और आईटी के क्षेत्र में पेशेवर रूप से योग्य उद्योग के लिए तैयार कर्मियों और उद्यमियों निर्माण होगा।

परियोजना का उद्देश्य छात्र समुदाय/ युवाओं, शिक्षा संकाय सदस्यों, उद्यमियों, स्थानीय उद्योग, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षित नियोजित और एनईआर के समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को आईईसीटी क्षेत्र में उनकी क्षमता/ शिक्षा को बढ़ाने के लिए लाभान्वित करना है। यह अनुमान लगाया गया था कि इस परियोजना से पांचवें वर्ष से एनआईईएलआईटी की प्रशिक्षण क्षमता 3,080 प्रति वर्ष से बढ़कर 14,400 प्रति वर्ष हो जाएगी।

एनआईईएलआईटी मुख्यालय ने दिल्ली में तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसीएल)[40], मेसर्स हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएससीसीएल)[41] और मेसर्स नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसीएल)[42] का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया और उन्हें मई 2013 में परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में एनईआर में 18 स्थानों पर एनआईईएलआईटी केंद्रों और विस्तार केंद्रों के स्थायी परिसर के निर्माण और विकास के लिए नियुक्त किया। पीएमसी परियोजना प्रबंधन, योजना, डिजाइनिंग, परामर्श सेवाओं आदि के लिए एजेंसी शुल्क सहित स्वीकृत लागत के भीतर एनआईईएलआईटी की ओर से कार्य निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार थे। वे परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे और उन्हें जमा कार्य के 5.24-10 प्रतिशत की दर से एजेंसी प्रभार का भुगतान किया जाना था। उन्हें जुलाई 2020 तक पी एम सी एजेंसी कमीशन के लिए ₹2.56 करोड़ का भुगतान किया गया था

4.1.1.1 परियोजना बजट और समय सीमा

एमईआईटीवाई ने एनईआर के लिए पांच वर्षों में पूरा किए जाने वाले आईईसीटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनआईईएलआईटी (मई 2012) को ₹388.68 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी। परियोजना के प्रस्तावित प्रारंभ और पूर्ण होने की तिथियां क्रमशः 26 जुलाई 2012 (जीआईए की पहली रिलीज की तारीख) और 25 जुलाई 2017 थीं। इस बजट का उपयोग पूंजीगत व्यय (सिविल कार्यों, उपयोगिताओं, उपकरणों पर) और आवर्ती व्यय (वेतन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, केंद्रों के परिसर के लिए किराया, बिजली/ डीजी/ यात्रा जैसे अन्य प्रशासनिक खर्चों, प्रशिक्षक का प्रशिक्षण, कॉर्पोरेट ओवरहेड नियंत्रण केंद्रों, अन्य स्थापना व्यय) के लिए किया जाना था। मंत्रालय ने कार्य के दायरे में गिरावट के कारण आवंटित बजट को संशोधित कर

---

[40] इंफाल, चुराचांदपुर, सेनापति, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, कोकराझार, तुरा, तेजू, पासीघाट और चुचुयिमलंग केंद्रों के लिए

[41] आइजोल, लुंगलेई, गुवाहाटी, तेजपुर और शिलांग केंद्रों के लिए

[42] गंगटोक और ईटानगर केंद्रों के लिए

₹366.78 करोड़ कर दिया और परियोजना को मार्च 2018 तक बढ़ा दिया। छह स्थानों (गुवाहाटी, सिलचर, तुरा, शिलांग, ईटानगर और तेजू) में निर्माण गतिविधियों को बंद करने के कारण एमईआईटीवाई ने परियोजना के बजट परिव्यय को घटाकर ₹287 करोड़ (सितंबर 2019) कर परियोजना की अवधि को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया, जिसे बाद में मार्च 2021 तक और बढ़ा दिया गया। जुलाई 2020 तक परियोजना पर वास्तविक व्यय ₹206.08 करोड़ था।

4.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.2.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई ई सी टी परियोजनाओं की स्थिति

परियोजनाओं के समय पर और निर्बाध निष्पादन के लिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि आवंटित किए जाने और परियोजना के निष्पादन के लिए पी एम सी के साथ एक समझौता करने के बाद, कार्यपालक एजेंसी को बाधा रहित साइट सौंपने की जिम्मेदारी एन आई ई एल आई टी की थी। इसलिए, एन आई ई एल आई टी को परियोजना के अनुमोदन चरण में ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों जैसे वन, वन्यजीवन और पर्यावरण मंजूर, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों आदि से उनकी आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरियाँ प्राप्त करनी थी। इसके अलावा, एन आई ई एल आई टी और पी एम सी के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, समय, अनुबंध का प्रमुख बिंदु था। पी एम सी, उन्हें सौंपी गई संबंधित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे।

4.1.2.2 स्थापित किए जाने वाले नए केंद्रों के संबंध में टिप्पणियां

स्वीकृत परियोजना के अनुसार दस नए केंद्रों की स्थापना के सम्बन्ध में, तीन परियोजनाएं पूरी की गईं, चार परियोजनाएं अपूर्ण/विलंबित थी और तीन परियोजनाओं को बन्द कर दिया गया । विवरण निम्न **तालिका 4.1** के अनुसार हैं:

तालिका 4.1: स्थापित किए जाने वाले नए केंद्रों की स्थिति

क्र.सं.	केंद्र का नाम (राज्य)	प्रारंभ करने की तिथि	जुलाई 2020 तक भौतिक समापन (%)	जुलाई 2021 तक केंद्र/ विस्तार केंद्र की स्थिति	पूर्णता/ विस्तार की तिथि	बजट परिव्यय (₹ करोड़ में)	07/2021 तक व्यय (₹ करोड़ में)
1.	सेनापति (मणिपुर)	22.08.2016	85	विस्तारित	30.06.2021	21.70	17.22
2.	लुंगलेई (मिजोरम)	30.05.2016	57	विस्तारित	31.10.2021	12.40	10.23
3.	डिब्रूगढ़ (असम)	17.10.2016	75	विस्तारित	30.06.2021	17.84	11.49
4.	पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश)	30.04.2016	91	विस्तारित	31.05.2021	12.79	11.13
5.	चुराचांदपुर (मणिपुर)	20.09.2016	100	पूर्ण	26.02.2020	19.86	19.85
6.	जोरहाट (असम)	10.03.2016	76	पूर्ण	30.07.2021	20.67	17.62
7.	कोकराझार (असम)	27.04.2016	92	पूर्ण	30.07.2021	17.66	16.61

8.	सिलचर (असम)			बन्द कर दिया गया		5.06	5.02
9.	तुरा (मेघालय)			बन्द कर दिया गया		0.99	1.84
10.	तेजू (अरुणाचल प्रदेश)			बन्द कर दिया गया		1.47	2.16

बन्द कर दिये गए केन्द्रो का परियोजनावार विवरण इस प्रकार है -

i. **सिलचर परियोजना:** असम सरकार ने भूमि आवंटित की, जो अतिक्रमित एवं न्यायालय के अधीन विवादित थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एन आई ई एल आई टी ने भूमि की उपयुक्तता का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के लिए कोई स्थल चयन समिति नहीं बनाई थी और इसलिए, भूमि का कब्जा लेने से पहले आवंटित भूमि की संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का परित्याग करना पड़ा (अप्रैल 2019)।

ii. **तुरा परियोजनाः** इस परियोजना को एन आई ई एल आई टी द्वारा निविदा की उच्च लागत के कारण छोड़ दिया गया था। एन आई ई एल आई टी द्वारा पी एम सी के साथ किए गए समझौते के खंड 2.3 में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि राज्य पी डब्ल्यू डी एस ओ आर या सी पी डब्ल्यू डी एस ओ आर में जो भी कम हो, पर तैयार अनुमानों के आधार पर कार्य निष्पादित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि पी एम सी (एन पी सी सी एल) ने मेघालय दर अनुसूची (एस ओ आर) 2015-16 के बजाय दिल्ली दर अनुसूची 2016 के आधार पर ₹8.36 करोड़ के ड्राइंग के साथ विस्तृत अनुमान तैयार किए। दिल्ली एस ओ आर राज्य के एस ओ आर से लगभग 60 प्रतिशत कम था। एन आई ई एल आई टी ने इन अनुमानों को दरों की स्वतंत्र तुलना के बिना अनुमोदित किया। जब पी एम सी ने काम के लिए निविदा जारी की, तो प्राप्त एल 1 बोलीदाता की दरे बहुत अधिक ₹11.31 करोड़ थी जो कि निविदा में लगाई गई अनुमानित लागत से 65 प्रतिशत अधिक थी। यद्यपि पी एम सी ने एल1 बोलीदाता की बोली को सही ठहराया, एन आई ई एल आई टी ने इसे स्वीकृत अनुमानित लागत से अत्यधिक अधिक होने के कारण स्वीकृति नहीं दी और परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया।

यदि एन आई ई एल आई टी समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक और विस्तृत अनुमानों की अपनी जांच में सतर्क रहता, और आवश्यकता के अनुसार अनुमान तैयार नहीं करने के लिए पी एम् सी को फटकार लगता, तो परियोजना को बन्द नहीं करना पड़ता (अप्रैल 2019)। यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पी एम सी को नवीनतम लागू राज्य एस ओ आर के अनुसार संशोधित परियोजना अनुमान तैयार करने के लिए क्यों नहीं कहा गया था।

iii. **तेजू परियोजनाः** अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन में देरी के कारण पी आर एस जी की 7वीं बैठक (25 अप्रैल 2019) की सिफारिशों के अनुसार तेजू केंद्र (अरुणाचल प्रदेश) का निर्माण बंद कर दिया गया था। यद्यपि राज्य सरकार ने परियोजना को

छोडने के बाद पांच एकड़ भूमि आवंटित की थी, लेकिन परियोजना को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान फिर से शुरू नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त **डिब्रूगढ़, पासीघाट, सेनापति** और **लुंगलेई** विस्तार केन्द्र परियोजनाओं के संबंध में यह देखा गया कि डिब्रूगढ़ में प्रस्तावित स्थल एक नदी के बहुत करीब था, जिसके कारण बार-बार बाढ़ आती थी। एन आई ई एल आई टी ने स्थल को बाढ़ से बचाने के लिए एक चारदीवारी के निर्माण के लिए असम सरकार के साथ मिलकर प्रयास किए जिससे कार्य में विलम्ब हुआ और एन आई ई एल आई टी ने निविदा लागत के अनुमोदन में भी देरी की जिसके परिणामस्वरूप लगभग 37 महीने की देरी हुई। पासीघाट केंद्र के लिए, भूमि के अतिक्रमण और अप्रोच रोड समाधान जैसे मुद्दों के कारण निर्माण कार्य में 41 महीने की देरी हुई। इसके अलावा, सेनापति और लुंगलेई केंद्रों के संबंध में, एन आई ई एल आई टी द्वारा निविदा लागत के अनुमोदन में विलम्ब से कार्य पूरा होने में 36-37 महीने की देरी हुई।

4.1.2.3 उन्नयन केंद्रों के संबंध में टिप्पणियां

परियोजना के तहत छः मौजूदा केंद्रों और दो विस्तार केंद्रों का उन्नयन किया जाना था। इसके विपरीत, जून/ जुलाई 2021 तक तीन केंद्रों को बन्द कर दिया गया था, दो को पूरा कर लिया गया था और तीन में देरी हुई थी। विवरण नीचे दी गई **तालिका 4.2** में है।

तालिका 4.2: उन्नयन किये जाने वाले मौजूदा केंद्रों/ विस्तार केन्द्रों की स्थिति

क्र.सं.	केंद्र का नाम (राज्य)	प्रारंभ करने की तिथि	जुलाई 2020 तक भौतिक समापन (%)	जुलाई 2021 तक केंद्र/ विस्तार केंद्र की स्थिति	पूर्णता/ विस्तार की तिथि	बजट परिव्यय (₹ करोड़ में)	07/2021 तक व्यय (₹ करोड़ में)
1.	गंगटोक (सिक्किम)	18.04.2017	58	विस्तारित	31.12.2021	40.57	18.24
2.	इंफाल (मणिपुर)	27.10.2015	100	पूर्ण	26.02.2020	27.66	27.19
3.	आइजोल (मिजोरम)	30.05.2016	100	पूर्ण	23.01.2020	21.94	20.44
4.	गुवाहाटी (असम)			बन्द कर दिया गया		4.09	5.98
5.	शिलांग (मेघालय)			बन्द कर दिया गया		4.79	6.81
6.	ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश)			बन्द कर दिया गया		4.87	5.77
मौजूदा विस्तार केंद्र जिनका उन्नयन किया जाना है							
7.	तेजपुर (असम)	12.05.2016	91	विस्तारित	31.03.2021	14.69	14.00

8.	चुचुयिमलंग (नागालैंड)	10.03.2016	92	विस्तारित	30.06.2021	15.25	12.47

बन्द कर दी गई परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

i. **गुवाहाटी परियोजनाः** इस परियोजना को पी आर एस जी ने अपनी 7वीं बैठक (अप्रैल 2019) में असम सरकार से पर्यावरण मंजूरी और भूमि काटने की अनुमति न मिलने के कारण छोड़ दिया था, क्योंकि भूमि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के पास थी। इन मंजूरियों को प्राप्त करने में एन आई ई एल आई टी और पी एम सी की भूमिका रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। यह देखा गया कि तब से इस केंद्र पर 31 जुलाई 2020 तक ₹5.98 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जिसमें से ₹1.92 करोड़ सिविल और उपयोगिताओं पर खर्च किए गए थे जो परियोजना के छोड़े जाने के कारण निष्फल हो गए।

ii. **शिलांग परियोजनाः** इस परियोजना को स्थानीय अधिकारियों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त न होने के कारण बंद कर दिया गया। यद्यपि एन आई ई एल आई टी ने मेघालय सरकार द्वारा आवंटित भूमि पी एम सी को सौंप दी (फरवरी 2016) और पी एम सी ने फरवरी 2017 में एक ठेकेदार को काम सौंप दिया, परन्तु ठेकेदार काम शुरू नहीं कर सका क्योंकि शिलांग के स्थानीय मावपत दोरबार प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एन ओ सी) प्राप्त नहीं हुआ था। स्थानीय प्राधिकरण एन आई ई एल आई टी केंद्र में अपने स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए एन आई ई एल आई टी शिलांग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहता था। उक्त समझौता ज्ञापन एन आई ई एल आई टी मुख्यालय में तुरंत स्वीकृत नहीं किया गया और इस मुद्दे को सुलझाने में काफी समय व्यतीत हो गया। अंत में, पी आर एस जी ने कार्य को बंद करने का निर्देश (अप्रैल 2019) जारी किया। एन आई ई एल आई टी के साथ-साथ पी एम सी ने स्थानीय अधिकारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के साथ समय पर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को समय से पहले बंद कर दिया गया। सिविल और उपयोगिताओं पर ₹2.02 करोड़ का खर्च हुआ जो परियोजना को बंद करने के कारण अपव्यय बन गया।

iii. **ईटानगर परियोजना:** अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा भूमि आवंटन के अभाव में ईटानगर केंद्र की परियोजना को बंद कर दिया गया था (25 अप्रैल 2019) ।

इसके अतिरिक्त **गंगटोक, तेजपुर और चुचुयिमलंग** विस्तार केन्द्र परियोजनाओं के संबंध में यह देखा गया कि जहां तक गंगटोक केंद्र का संबंध है, पी एम सी की ओर से प्रशासनिक खामियां थीं क्योंकि ठेकेदार उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा था जिससे निर्माण गतिविधि में 24 महीने की देरी हुई। तेजपुर केंद्र के संबंध में भूमि के अतिक्रमण और अप्रोच रोड समाधान जैसे मुद्दों के कारण निर्माण कार्य में 34 महीने की देरी हुई। चुचुयिमलंग केन्द्र के संबंध में निर्माण कार्य में 41 महीने की देरी हुई।

4.1.2.2 और 4.1.2.3 में उपरोक्त निष्कर्षों के संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि एन आई ई एल आई टी आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने का प्रबंध नहीं कर सका जिसके कारण स्थापित/ उन्नयन किए जाने वाले नए केंद्रों को पूरा करने में विलंब हुआ/ छोड़ दिया गया। इसके अलावा कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए कोई उचित परियोजना नियंत्रण तंत्र मौजूद नहीं था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि सात परियोजनाएं इसकी स्वीकृति से आठवें वर्ष के अंत तक भी पूरी नहीं हुई, जिन्हें अन्यथा पांच वर्षों के भीतर पूरा करने की परिकल्पना की गई थी। निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्धारित बारह/ पन्द्रह माह की अवधि के विपरीत कार्य को पूर्ण करने में 24 - 41 माह का विलम्ब था। विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करते समय, लेखापरीक्षा ने पाया कि पी एम सी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के साथ-साथ एन आई ई एल आई टी द्वारा उचित निगरानी की कमी परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के लिए मूल योगदान कारक थे। इसके अलावा, एन आई ई एल आई टी के प्रबंधन ने क्षेत्र में भारी वर्षा, आर्थिक नाकाबंदी, निविदा लागत के अनुमोदन में देरी, स्पष्ट साइट, डिजाइन और ड्राइंग को संभालने, अग्नि सुरक्षा प्रतिष्ठानों में देरी, भूमिगत पानी की टंकी के निर्माण में देरी, चल रही कोविड-19 महामारी आदि कारणों को जिम्मेदार ठहराया।

एन आई ई एल आई टी ने परियोजनाओं को बंद करने के कारणों को सही ठहराते हुए (सितंबर 2020/फरवरी 2021) लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया। मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि परियोजना के दो प्रमुख भाग थे - अस्थायी परिसर से प्रशिक्षण गतिविधियाँ शुरू करना और स्थायी परिसर का निर्माण करना और प्रशिक्षण गतिविधियों को अस्थायी परिसर से स्थायी परिसर में स्थानांतरित करना। प्रशिक्षण केन्द्र की गतिविधियों को निर्माण गतिविधियों से काफी पहले या समानांतर में शुरू किया गया था और इन केंद्रों के संचालन को सभी स्थलों पर नवनिर्मित स्थायी परिसरों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, परियोजना की शुरुआत से ही सभी केंद्रों के मौजूदा स्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां चल रही थी। छह छोड़े गए केंद्रों पर किए गए ₹27.58 करोड़ के खर्च के संबंध में, यह कहा गया कि अस्थायी केंद्रों से प्रशिक्षण गतिविधियों को शुरू करने के लिए खर्च की आवश्यकता थी। संबंधित स्थानों पर आवर्ती व्यय, उपकरणों की खरीद जैसे व्यय किए गए और ये केंद्र अभी भी अस्थायी स्थानों से चालू हैं।

मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया कि देरी के लिए एक निवारक तंत्र के रूप में पी एम सी के साथ समझौते में एलडी/ जुर्माने का एक उपयुक्त खंड पहले से मौजूद है। विभिन्न पूर्व गतिविधियों जैसे कि भूमि का आंवटन, भवन संबधी योजनाओं का अनुमोदन आदि जो कि विभिन्न बाहरी कारकों जैसे कि स्थानीय हस्तक्षेप, समुदाय/ गांव के लोगों से अनुमति इत्यादि के अलावा राज्य सरकारों पर निर्भर थी, के पूरा होने के उपरान्त, एन ई आर केंद्रों पर निर्माण गतिविधियाँ शुरू की गई।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय और संवाद का स्पष्ट अभाव था और परियोजनाओं को समय पर आगे बढ़ाने के लिए एन आई ई एल आई टी/ मंत्रालय की ओर से उच्च स्तर पर अपर्याप्त प्रयास थे, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को छोड़ दिया गया। अरूणाचल प्रदेश में मंत्रालय तीन केन्द्रों में से दो के लिये भूमि आवंटन प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। मेघालय परियोजना को राज्य सरकार द्वारा भूमि के आवंटन के बावजूद अनुबंधों के अनुचित संचालन के कारण छोड़ दिया गया था। इसलिए नए केंद्रों/ उन्नत केंद्रों को उनके अतिरिक्त लाभों के साथ स्थापित करने का परियोजना का आवश्यक लक्ष्य विफल हो गया। इसके अलावा, एन आई ई एल आई टी द्वारा कार्य पूरा होने में हुई देरी के सभी उल्लखित कारक पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समान्य थे और एन आई ई एल आई टी के साथ -साथ मंत्रालय के भी ज्ञान में थे। इन कारको को अनुबंध करने से पूर्व ही समय सीमा में शामिल किया जाना चाहिये था और उसके बाद पर्याप्त रूप से निगरानी की जानी चाहिये थी।

बंद की गई परियोजनाओं पर किए गए ₹27.58 करोड़ के कुल व्यय में से ₹3.95 करोड़ का व्यय सिविल कार्यो और उपयोगिताओं पर खर्च किया गया जो बेकार हो गया। शेष व्यय अस्थायी या पहले से मौजूद संरचनाओं से केंद्रों को चलाने, उपकरणों की खरीद आदि पर किया गया था। चूंकि ये परियोजनाएं शुरू नहीं हुई, इसलिए ₹3.95 करोड़ का व्यय निष्फल रहा और यद्यपि आवर्ती लागत, उपकरणों पर और अस्थायी केद्रों पर ₹23.63 करोड़ का व्यय हुआ, परंतु यह नए केद्रों की स्थापना के परियोजना के उद्देश्यों जिसके लिए बजट स्वीकृत किया गया था, के अनुरूप नहीं था। एन आई ई एल आई टी ने जुलाई 2020 तक पी एम सी को दोनों छोड़ दी गई परियोजनाओं के साथ-साथ पूर्ण हुई/ विलंबित परियोजनाओं के लिए एजेंसी कमीशन के रूप में ₹2.65 करोड़ का भुगतान किया। उन्हें, छोड़ दी गई/ विलंबित और अधूरी परियोजनाओं के लिए किया गया भुगतान उस सीमा तक निष्फल रहा।

अनुबंध में एल डी/ जुर्माने का खंड डालने के संबंध में, मंत्रालय ने स्वयं ही बाढ़, भारी वर्षा, आर्थिक नाकाबंदी और अन्य प्राकृतिक कारणों जैसे कारणों से प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाया था, और पी एम सी पर कोई परिसमापन हर्जाना नहीं लगाया था। अस्थायी प्रशिक्षण संरचनाओं के संचालन के संबंध में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई ई सी टी परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर में 18 स्थानो पर एन आई ई एल आई टी शैक्षणिक केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करना था ताकि दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों को पर्याप्त शिक्षकों से युक्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दे कर उभरती प्रौद्योगिकियों में नए पाठ्यक्रमों से शिक्षित और परिचित किया जा सके। एन ई आर में केवल अस्थायी प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन जैसा कि एन आई ई एल आई टी/ मंत्रालय द्वारा कर दिया गया, परियोजना का मुख्य उद्देश्य नहीं था। भारत सरकार के अनुमोदन के साथ-साथ डी पी आर में स्पष्ट रूप से निर्धारित शैक्षणिक लक्ष्यों के अलावा, भौतिक पूर्णता का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था जो

कि 13 परियोजनाओं में परियोजना के अनुमोदन की तिथि से आठ वर्षों के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

4.1.2.4 योजना कार्यान्वयन

4.1.2.4(i) शिक्षक विकास योजना में अपर्याप्तता

जैसा कि परिकल्पित था, सभी एन आई ई एल आई टी केंद्रों और विस्तार केंद्रों को बी एस एन एल द्वारा प्रारंभ किये गए नेशनल नालिज नेटवर्क (एन के एन) के माध्यम से उच्च बैंडविड्थ ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के साथ जोड़ा जाना था ताकि एक केंद्रीकृत नेटवर्क में गुणवत्ता वाले व्याख्यानों के निर्माण, भंडारण और प्रसार को सक्षम बनाया जा सके। शिक्षकों को जुटाने के लिए आभासी कक्षा के निर्माण पर भी जोर दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

- ❖ सभी केंद्रों में एन के एन कनेक्टिविटी स्थापित नहीं की गई थी
- ❖ लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, एन ई आर में किसी भी एन आई ई एल आई टी केंद्र ने मूल्यवर्धित आधार पर और राज्य की सीमा के बाहर के छात्रों के लिए अन्य केंद्रों के संसाधनों को साझा करने के लिए किसी भी पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए मौजूदा शिक्षण ढांचे को छोड़कर एक मिश्रित शिक्षण ढांचा नहीं अपनाया था।

एन आई ई एल आई टी ने इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (सितंबर 2020/ फरवरी 2021)। उन्होंने आगे कहा कि साइबर फोरेंसिक डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के तहत पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे, और वर्चुअल मोड के माध्यम से नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में साझा किए गए थे। यह मिश्रित मोड में प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर फ्यूचर स्किल प्राइम लैब इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया में था। कर्मचारियों की आवश्यकताओं को मौजूदा स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ अनुबंध के आधार पर लगे कर्मचारियों के साथ पूरा किया गया, जिन्हें आवश्यकता के आधार पर विभिन्न शिक्षक विकास कार्यक्रमों में उनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। मंत्रालय ने एन आई ई एल आई टी मुख्यालय द्वारा दिए गए उत्तर को दोहराया (अगस्त 2021)।

एन आई ई एल आई टी/ मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छह केन्द्रों नामतः गुवाहाटी, तेजपुर, शिलांग, ईटानगर, इम्फाल और गंगटोक एन के एन कनेक्टिविटी से जुड़े थे इस प्रकार शेष छह केंद्रों को अभी भी उच्च बैंडविड्थ (100 एम बी पी एस और अधिक) से जोड़ा जाना था और वे निजी नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे थे। आभासी कक्षाओं के साथ-साथ सीखने के पाठ्यक्रमों का मिश्रित हिस्सा भी आंशिक रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों के पाठ्यक्रमों के साथ लागू किया गया था। इसके अलावा, जैसा कि एन आई ई एल आई टी

द्वारा कहा गया, साइबर फोरेंसिक डाटा सेंटर परियोजना, एम ई आई टी वाई द्वारा अनुमोदित आई ई सी टी परियोजना के तहत नहीं थी।

4.1.2.4(ii) उद्योग इंटरफेस की कमी

किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए यह वांछनीय है कि वह शिक्षक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के साथ गठजोड़ करें और वांछित पाठ्यक्रम तैयार करें, जो इन संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्वोत्तर में एन आई ई एल आई टी केंद्रों का संगठित औद्योगिक संघों जैसे नैसकॉम, एम ए आई टी आदि के साथ कोई उद्योग इंटरफ़ेस नहीं था और इसलिए वे उद्योग की आवश्यकताओं के प्रति पर्याप्त रूप से उन्मुख नहीं थे। यद्यपि एन आई ई एल आई टी मुख्यालय में एक समिति ने सभी एन ई आर एन आई ई एल आई टी केंद्रों को राजस्व सृजन क्षेत्रों के लिए विभिन्न रास्ते तलाशने की सिफारिश की, जहां "उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए उद्योग के साथ गठजोड़" ऐसे क्षेत्रों में से एक था, लेकिन यह कदम जनवरी 2020 में उठाया गया।

अपने उत्तर में, एन आई ई एल आई टी/ मंत्रालय ने (फरवरी/ अगस्त 2021) कहा कि विभिन्न सेमिनारों/ संगोष्ठियों का आयोजन करके स्थानीय उद्योगों, कॉलेजों, संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए थे।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एन आई ई एल आई टी द्वारा उद्योगों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ गठजोड़ करने के प्रयास बहुत देर से, परियोजना को शुरू किए जाने के आठ साल बाद, किए गए थे और इसकी प्रभावशीलता को अभी तक देखा जाना बाकी है।

4.1.2.4(iii) एन आई ई एल आई टी के छात्रों की खराब रोजगार योग्यता

एन ई आर के लिए आई ई सी टी परियोजना का अनुमोदन देते समय, यह कल्पना की गई थी कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर विज्ञान और आई टी के क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से योग्य तथा उद्योग के लिए तैयार कर्मियों और उद्यमियों का विकास होगा। क्वालीफायर न केवल उद्योग में रोजगार प्राप्त करेंगे बल्कि क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए तथा उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों/ औद्योगिक घरानों को भी आकर्षित करेंगे। सभी एन आई ई एल आई टी क्वालिफायर को रोजगार हेतु सुविधा और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, एक समर्पित प्लेसमेंट पोर्टल की आवश्यकता थी। एन आई ई एल आई टी के छात्रों को दिए जाने वाले प्लेसमेंट मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक केंद्र को प्लेसमेंट सेल स्थापित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एन आई ई एल आई टी के 13 केन्द्रों में प्रशिक्षित छात्रों की औसत रोजगार योग्यता वर्ष 2012-13 से 0.14 प्रतिशत से 27.07 प्रतिशत के बीच थी छात्रों की रोजगार योग्यता का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कोई समर्पित प्लेसमेंट पोर्टल अस्तित्व में

नहीं था। छात्रों को रोजगार मिलने के कम अवसर होने का कारण, एन ई आर में आई टी उद्योगों की कम संख्या, एन ई आर (गुवाहाटी, शिलांग, गंगटोक और ईटानगर) में छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट के लिए मार्गदर्शन सेल की स्थापना न करना, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए उच्च अंत पाठ्यक्रम तैयार नहीं करना, केंद्रों के उद्योग इंटरफेस की कमी आदि थे।

उत्तर में, एन आई ई एल आई टी मुख्यालय ने (फरवरी 2021) लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि एन आई ई एल आई टी छात्रों के रोजगार योग्यता अभिलेखों के प्रावधान के साथ-साथ समर्पित प्लेसमेंट पोर्टल का विकास भी किया जा रहा है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित टिप्पणियों के अनुपालन में एन आई ई एल आई टी द्वारा पहले से ही प्रयास किए जा रहे थे।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2021) कि एन आई ई एल आई टी के छात्रों को संबंधित केंद्रों द्वारा अनिवार्य रूप से प्लेसमेंट मार्गदर्शन दिया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ एन आई ई एल आई टी केंद्रों ने औपचारिक स्थापना के रूप में कैरियर मार्गदर्शन स्थापित किया है। एन आई ई एल आई टी प्रमाणित उम्मीदवारों को प्रोत्साहन देने के लिए एक समर्पित प्लेसमेंट पोर्टल के माध्यम से इन उम्मीदवारों को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी कहा गया था कि नौकरी में शामिल होने के बाद, एन आई ई एल आई टी में छात्रों द्वारा इस बाबत वापस रिपोर्ट करने की संभावना कम थी और रोजगार के रिकॉर्ड को बनाए रखने पर पहले विचार नहीं किया गया था।

हालांकि, तथ्य यह है कि संगठन के प्रयासों के बावजूद, एन ई आर में छात्रों की रोजगार योग्यता प्रतिशत उत्साहजनक नहीं थी और सभी प्रयासों के साथ सुधार करने की आवश्यकता थी।

4.1.2.5 वित्तीय प्रबंधनः परियोजना प्रबंधन सलाहकारों को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम और अतिरिक्त अग्रिम देने के कारण ब्याज की हानि

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) वर्क्स मैनुअल 2012 की धारा 32 के तहत पैरा 32.5 के अनुसार, ठेकेदारों को विशिष्ट अनुरोध पर किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी (बी जी) जमा करने के विरुद्ध 10 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर मोबिलाइजेशन अग्रिम निविदा राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक स्वीकृत किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों को छोडकर कम से कम दो किश्तों में अग्रिम जारी किया जाना चाहिए तथा 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर वसूली की जानी चाहिए और 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने तक ब्याज सहित पूरी राशि की वसूली की जानी चाहिए।

एन आई ई एल आई टी और पी एम सी के बीच हस्ताक्षरित अनुबंधों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एन आई ई एल आई टी ने संबंधित पी एम सी को 16 केंद्रों के संबंध में प्रारंभिक कार्य जैसे स्थल योजना तैयार करना, मिट्टी की जांच, डिजाइन और ड्राइंग तैयार

करना, विस्तृत अनुमान, निविदा प्रसंस्करण गतिविधियों, निविदा को अंतिम रूप देना और ठेकेदार को कार्य प्रदान करना आदि के लिए किए गए खर्च को पूरा करने के लिए ₹17.06 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया। इस अग्रिम में से केवल ₹7.05 करोड़ वापस/ समायोजित किया गया था और शेष राशि ₹10.01 करोड़ (दिए गए कुल अग्रिम का लगभग 59 प्रतिशत) को 31 मार्च 2020 तक पी एम सी द्वारा रोक लिया गया।

पी एम सी द्वारा अनिर्दिष्ट अवधि के लिए सरकारी धन के अनाधिकृत प्रतिधारण की अनुमति देकर एन आई ई एल आई टी ने विभाग के वित्तीय हितों से समझौता किया और पी एम सी को अनुचित लाभ प्रदान किया। ₹17.06 करोड़ में से ₹5.63 करोड़[43] की अग्रिम राशि पी एम सी को उन परियोजनाओं के लिए दी गई, जिन्हें छोड़ दिया गया था। निधियों के इस प्रतिधारण के परिणामस्वरूप एन आई ई एल आई टी **(अनुलग्नक 4.1)** को 31 मार्च 2020 तक ₹7.18 करोड़ के ब्याज की हानि[44] हुई।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि एन आई ई एल आई टी ने सितंबर 2015 से जुलाई 2018 के दौरान समझौते के उप-खंड 4.9 के अनुसार दो पी एम सी (एन पी सी सी और एन बी सी सी) को सात केंद्रों के संबंध में ₹7.26 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज मुक्त अग्रिम जारी किया, जिसमें से पी एम सी से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही, 31 मार्च 2020 तक चालू लेखा बिलस् के माध्यम से ₹ 6.56 करोड़ का समायोजन किया। इसके अलावा, जबकि पी एम सी ने कार्यों के निष्पादन के लिए, ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए निविदा दस्तावेजों में 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान किया था, परंतु एन आई ई एल आई टी ने समान प्रथा का पालन नहीं किया जिससे उसके वित्तीय हितों की रक्षा हो सके। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 तक पी एम सी को अनुचित लाभ हुआ और ₹ 1.60 करोड़ के ब्याज की हानि हुई **(अनुलग्नक-4.2)**। सरकारी धन को वर्षों तक एक साथ बिना उसके उपयोग के उद्देश्य के लिए रखना, विशेष रूप से जब कुछ परियोजनाओं को छोड़ दिया गया/विलंबित किया गया, गंभीर वित्तीय अनियमितता थी।

एन आई ई एल आई टी ने शुरू में यह तर्क दिया कि ब्याज प्रावधान यहां लागू नहीं थे, हालांकि, लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर, बिलों के अंतिम निपटान में पी एम सी द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय को समायोजित करने का निर्णय लिया। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में पी एम सी के साथ समझौतों में ब्याज युक्त अग्रिम का प्रावधान शामिल किया जाएगा।

---

[43] एन पी सी सी एल को ₹1.69 करोड़ और एच एस सी एल को ₹3.94 करोड़

[44] 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित

4.1.2.6 निगरानी

एन ई आर के लिए आई ई सी टी परियोजनाओं को मंजूरी देते समय, कैबिनेट ने परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी के लिए निम्नलिखित तंत्र को मंजूरी दी:

i. समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने, परियोजना के तीसरे वर्ष में मध्यावधि समीक्षा करने, परियोजना के दायरे में उपयुक्त संशोधन / संशोधन की सिफारिश करने और उपयुक्त कार्यान्वयन रणनीतियों का सुझाव देने के लिए एम ई आई टी वाई (तत्कालीन डी आई टी) के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी।

ii. (i) राजस्व सृजन, (ii) क्षमता उपयोग, (iii) सफल/ असफल अनुपात, (iv) रोजगार/ प्लेसमेंट के साथ-साथ इन मानदंडों के लिए संख्यात्मक मान जिनसे परियोजना के प्रदर्शन को मापा जा सकता है, के आधार पर एक पैरामीट्रिक दृष्टिकोण अपनाकर परियोजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और संचालन के लिए संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव, एम ई आई टी वाई की अध्यक्षता में एक परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पी आर एस जी) का गठन किया जाएगा।

iii. एन आई ई एल आई टी परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एम ई आई टी वाई के समर्थन में एक तंत्र भी बनाएगा जो समय पर कार्यान्वयन के लिए पी आर एस जी को आवश्यक इनपुट प्रदान करेगा और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मानक वेब सक्षम प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) विकसित करेगा।

iv. उपरोक्त के अलावा, एन आई ई एल आई टी मुख्यालय में विभिन्न एन आई ई एल आई टी केंद्रों से प्राप्त डॉटा इनपुट के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) पोर्टल तैयार किया जाना था। इसके अलावा, समय-समय पर साइट के दौरे के माध्यम से निर्माण कार्य की निगरानी और समीक्षा करने के लिए, एन आई ई एल आई टी मुख्यालय को अप्रैल 2014 में एन ई आर में प्रत्येक एन आई ई एल आई टी केंद्र में एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी (बी पी एम सी) या यूनिफॉर्म बिल्डिंग कमेटी (यू बी सी) का गठन करना था।

यह देखा गया कि नवंबर 2013 से अगस्त 2020 की अवधि के दौरान नौ पी आर एस जी बैठकें आयोजित की गई। पी आर एस जी बैठकों में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में एन आई ई एल आई टी की आई ई सी टी परियोजना की निगरानी और विकास में निम्नलिखित कमियां पाई गईं -

i. यद्यपि पी आर एस जी बैठकों में भूमि अधिग्रहण में देरी पर चर्चा हुई, वे राज्य सरकार और एन आई ई एल आई टी के बीच उत्पन्न होने वाले भूमि अधिग्रहण के मुद्दों से निपटने के लिए एन आई ई एल आई टी को स्पष्ट निर्देश देने में विफल रहे। समूह ने आयोजित बैठकों में निर्माण गतिविधियों में देरी के कारणों का विश्लेषण और उल्लेख

नहीं किया। इस प्रकार, पी आर एस जी पी एम सी को विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा भूमि का आवंटन न करने और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आने वाली वैधानिक मंजूरी और अन्य समस्याओं के संदर्भ में विशिष्ट निर्देश देने में विफल रहा। कार्य की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के निष्पादन में विलम्ब को संबोधित नहीं किया गया था।

ii. एम आई एस पोर्टल, पी आर एस जी को आवश्यक इनपुट और समीक्षा के लिए पी एम सी को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एन ई आर में एन आई ई एल आई टी केंद्रों को सुविधा प्रदान करने में विफल रहा।

iii. यद्यपि अप्रैल 2014 में एन ई आर में प्रत्येक एन आई ई एल आई टी केंद्र में एक बी पी एम सी या यू बी सी का गठन किया गया था, केंद्रों ने वर्ष 2016-17 के दौरान दो साल के अंतराल के बाद एक समिति की स्थापना की। समिति मुख्य रूप से स्थल निरीक्षण किए बिना और निर्माण कार्य में कमियों को इंगित किए बिना पी एम सी के दावों को निपटाने में मुख्य रूप से शामिल थी। एन आई ई एल आई टी मुख्यालय ने जुलाई 2018 में भवन समिति को भंग कर दिया और एक पुनर्गठित समिति का गठन किया जहां समिति द्वारा निर्माण स्थलों पर स्थल निरीक्षण अनिवार्य नहीं था।

iv. एन आई ई एल आई टी मुख्यालय के साथ-साथ एन आई ई एल आई टी केंद्रों पर कोई रोजगार योग्यता डेटाबेस नहीं रखा गया था ताकि एन आई ई एल आई टी उत्तीर्ण छात्रों की रोजगार योग्यता की निगरानी की जा सके। इस मुद्दे पर मुख्यालय स्तर पर एक पोर्टल निर्माणाधीन था।

v. किसी भी पी आर एस जी बैठक में राजस्व सृजन, क्षमता उपयोग, सफल/ असफल अनुपात और रोजगार/नियुक्ति के प्रदर्शन मानकों के आधार पर परियोजना के प्रदर्शन का विश्लेषण नहीं किया गया था। कुछ बैठकों में, राजस्व सृजन और क्षमता उपयोग पहलुओं को सामान्य टिप्पणी के रूप में उल्लेख किया गया था।

एन आई ई एल आई टी ने (फरवरी 2021) उत्तर दिया कि तत्काल परियोजना की पी आर एस जी द्वारा सभी दिशाओं में समीक्षा की जा रही थी। उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर पी एम सी से समय पर धन की मांग की प्रगति और प्राप्ति की पुष्टि के बाद समिति की सिफारिश के साथ भुगतान की प्रक्रिया के लिए एक बी पी एम सी का गठन किया गया था। प्रत्येक साइट से इनपुट के आधार पर तैयार की गई निर्माण प्रगति सहित मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से परियोजना की निगरानी और समीक्षा की जा रही थी, जब कभी भी आवश्यकता/मांग की गई, एम ई आई टी वाई/ अन्य अधिकारियों को प्रस्तुत की गई। मंत्रालय ने (अगस्त 2021) यह भी कहा कि मुख्य अन्वेषक और एन ई-पी एम यू के एक संसाधन व्यक्ति की नियुक्ति के माध्यम से परियोजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित की गई थी।

मंत्रालय/ एन आई ई एल आई टी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन और मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष दर्शाते हैं कि बारंबारता और पी आर एस जी बैठकों में विचार-विमर्श किए गए मुद्दे परियोजना के परिमाण और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे और इसलिए अप्रभावी साबित हुए।

4.1.3 निष्कर्ष

एम ई आई टी वाई ने मई 2012 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों कि शैक्षिक संवृद्धि और विकास के लिए, आई ई सी टी परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसे एन आई ई एल आई टी द्वारा नोडल इमपलिमेंटिग एजेंसी के रूप में पांच वर्षों में पूरा किया जाना था। परियोजनाओं को पी एम सी नियुक्त करके कार्यान्वित किया जाना था, जो परियोजना की समय-सीमा तैयार करने, ठेके देने और उनके निष्पादन की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। जुलाई 2020 तक उन्हें लागत कि प्रतिशतता के रूप में ₹2.65 करोड़ एजेंसी कमीशन का भुगतान किया गया था। यद्यपि लेखापरीक्षा में पता चला कि परियोजना को मूल/ संशोधित समय सीमा में पूरा नहीं किया जा सका और इसे दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दिया गया। राज्यों द्वारा भूमि या आपत्ति रहित भूमि के आवंटन में असहयोग और एन आई ई एल आई टी एवं पी एस सी द्वारा परियोजना निष्पादन के दौरान आने वाली समस्याओं के अपर्याप्त संचालन और साथ संबंधित राज्य सरकारों के साथ पर्याप्त प्रशासनिक स्तर पर संवाद की अनुपस्थिति के कारण पाये गये। परिणामस्वरूप, स्थापित किए जाने वाले दस नए केंद्रों के संबंध में तीन परियोजनाएं (असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश) छोड़ दी गई, चार (मणिपुर, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश) अधूरी/ विलंबित रह गई और तीन (एक मणिपुर और असम में दो) पूरी हुई। इसी तरह परियोजना के तहत छह मौजूदा केंद्रों और दो विस्तार केंद्रों को अपग्रेड करने के संबंध में तीन केंद्र (असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक-एक) छोड़ दिए गए, दो (मणिपुर और मिजोरम में) पूरे हुए और तीन (सिक्किम,असम और नागालैंड) जून/ जुलाई 2021 तक विलंबित थे। सात परियोजनाओं के संबंध में समय विस्तार के बावजूद दिसम्बर 2021 तक परियोजनाऐं पूरी नहीं हुई। राज्य सरकारों के साथ संबंधित कारणों को हल करके छोड़ दी गई परियोजनाओं का मार्च 2021 तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। ₹27.58 करोड़ का व्यय नए/ विस्तार केन्द्रों की स्थापना के परियोजना उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया और इसमें से बंद/ छोड़ दी गई परियोजनाओं पर किया गया ₹3.95 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

परियोजना के वित्तीय प्रबंधन में भी अनियमितताएं पाई गईं। एन आई ई एल आई टी ने पी एम सी को निधि (₹10.71 करोड़) के अनाधिकृत प्रतिधारण और अनियमित ब्याज मुक्त अग्रिम की अनुमति देकर अनुचित वित्तीय लाभ दिया, विशेष रूप से उन मामलों में जहां परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था या गंभीर रूप से विलंबित किया गया था। पी एम सी को ब्याज रहित अग्रिम देने से भी एन आई ई एल आई टी को ₹8.78 करोड़ की हानि हुई।

एन ई आर में किसी भी एन आई ई एल आई टी केंद्र ने, जैसा कि योजना में परिकल्पित है, मौजूदा शिक्षण ढांचे की बजाय मिश्रित शिक्षण ढांचे को नहीं अपनाया, ताकि मूल्य वर्धित आधार पर और राज्य की सीमा से बाहर के छात्रों के लिए अन्य केंद्रों के संसाधनों को साझा करने के लिए किसी भी पाठ्यक्रम की पेशकश की जा सके। इसके साथ-साथ, सभी प्रस्तावित केन्द्रों में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तरह के नियमित कर्मचारियों की भी लगातार कमी थी। परियोजना के शुरू होने के आठ साल बाद भी, सभी एन आई ई एल आई टी केंद्रों द्वारा वास्तव में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या छात्रों की लक्षित संख्या से कम रही और रोजगार के आंकड़े भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। पिछले आठ वर्षों के दौरान औसतन नियोजित छात्रों की प्रतिशतता प्रशिक्षित छात्रों की संख्या का 3.57 प्रतिशत ही थी। यह छह परियोजनाओं को बंद करने के कारण भी था। साथ ही एन ई आर (गुवाहाटी, शिलांग, गंगटोक और ईटानगर) में छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट के लिए मार्गदर्शन सेल की स्थापना न करना, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए उच्च अंत पाठ्यक्रम को गैर प्राथमिकता देना, केंद्रों के उद्योग इंटरफेस की कमी आदि ने इस मुद्दे को ओर बढ़ावा दिया।

परियोजना की निगरानी के संबंध में, हालांकि पी आर एस जी बैठकों में भूमि अधिग्रहण के मुद्दों से लेकर निर्माण कार्य तक आई ई सी टी परियोजना की बाधाओं पर चर्चा की गई, फिर भी वे परियोजना की प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मूल कारणों का विश्लेषण करने और कार्य की सुचारू प्रगति के लिए समस्या के निष्पादन हेतु परियोजना प्रबंधक को स्पष्ट निर्देश देने में विफल रहे। एन आई ई एल आई टी ने वेब समर्थित प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित नहीं की थी, जैसा कि योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट नोट में प्रस्तावित किया गया था।

इस प्रकार एन आई ई एल आई टी की एन ई आर परियोजना की लेखापरीक्षा से पता चला कि यद्यपि परियोजना पर स्वीकृत व्यय का 70 प्रतिशत से ज्यादा व्यय हो चुका था, योजना बड़े पैमाने पर अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, युवा आबादी को रोजगार बाजार के लिए उन्नत कौशल से लैस करके क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए परियोजना को वित्तपोषित करने का सरकार का समग्र उद्देश्य भी समय पर प्राप्त नहीं किया जा सका।

4.1.4 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि एन आई ई एल आई टी

- ***सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त योजना बनाने और चर्चा करने के बाद परियोजनाओं को मंजूरी दे सकता है।***
- ***अपूर्ण और विलंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा कर सकता है और छोड़ी गई/विलंबित परियोजनाओं के लिए पी एम सी/ठेकेदारों पर जवाबदेही तय कर सकता है।***

- ***कार्यशील केन्द्रों में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों श्रेणियों के लिऐ निमित कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित कर सकता है।***
- ***राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर संवाद स्थापित करके बंद पड़ी परियोजनाओं को पुनर्जीवित कर सकता है।***
- ***पी एम सी के साथ किए गए अनुबंधों में उपयुक्त खंड शामिल कर सकता है, जिससे भारत सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा हो सके।***
- ***एक प्रशिक्षण कैलेंडर के साथ मिश्रित शिक्षण मोड में संकाय विकास कार्यक्रम (एफ डी पी) पर विचार कर सकता है ताकि छोटे केंद्र भी पहले से अच्छी तरह से योजना बना सकें और शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए लंबे समय तक स्टेशन छोड़ने की बाध्यता से भी छूट मिल सके।***
- ***मुख्यालय के साथ-साथ इकाई स्तर पर परियोजना निगरानी नियंत्रण को मजबूत कर सकता है जैसे कि केंद्रित पी आर एस जी बैठकें आयोजित करके, यूनिफ़ॉर्म बिल्डिंग कमेटी में सुधार करके, नियमित स्थल का दौरा करके आदि।***

4.2 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ई पी एफ अंशदान के विलम्बित प्रेषण के लिए ब्याज और शास्ति प्रभार का परिहार्य भुगतान

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ई एल आई टी) अपने कर्मचारियों और उनके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/ योजनाओं में लगे कर्मचारियों के लिए मासिक कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) अंशदान का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, एन आई ई एल आई टी को संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ई पी एफ अंशदान के विलम्ब से प्रेषण के लिए ब्याज और शास्ति प्रभारों के कारण ₹ 71.71 लाख का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ई एल आई टी) की स्थापना वर्ष 1994 में मानव संसाधन विकास और सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई ई सी टी) से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए की गई थी। इसके पूरे भारत में तैंतालीस (43) केंद्र हैं। यह गैर-औपचारिक क्षेत्र में पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए संस्थानों/ संगठनों को मान्यता देता है और कई राज्य सरकारों के लिए उनके कर्मचारियों और जनता के लिए आई टी साक्षरता कार्यक्रम भी चलाता है। यह विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन सृजित करने के उद्देश्य से आई ई सी टी में क्षमता निर्माण के तहत विभिन्न परियोजनाएं चलाता है, जिसमें रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े गुणवत्ता और लागत प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। एन आई ई एल आई टी केंद्र देय ई पी एफ अंशदान की कटौती के बाद अपने स्वयं के प्रतिष्ठानों के लिए या राज्य सरकारों/ संगठनों की किसी

परियोजना/ योजना के लिए अपने द्वारा नियुक्त शिक्षकों/ जनशक्ति को वेतन का भुगतान करते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 38 और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 3 के अनुसार, किसी भी स्थापना के नियोक्ता को संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) को माह समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक प्रभार के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 14बी के तहत, जहां एक नियोक्ता निधि में अंशदान या किसी भी प्रभार के भुगतान में चूक करता है, क्षेत्रीय ई पी एफ आयुक्त को इस तरह के क्षति को शास्ति के रूप में वसूल करना आवश्यक है जो ई पी एफ योजना 1952 के पैरा 32 ए में निर्दिष्ट दरों पर क्षति और बकाया राशि से अधिक नहीं हो। ई पी एफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के पैरा 7क्यू यह नियत करता है कि नियोक्ता इस अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि पर उस तिथि से जब से वह राशि देय है, से उसके वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से या योजना में निर्दिष्ट किसी उच्च दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

एन आई ई एल आई टी, मुख्यालय दिल्ली और एन आई ई एल आई टी गोरखपुर के मामले में, एन आई ई एल आई टी देश भर में स्थित डी ओ ई ए सी सी दो आर सी सी (क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र), तथा सात सी ई डी टी आई (इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन और प्रौद्योगिकी केंद्र) से मिलकर बनी संस्था है। सभी संस्थाएँ ई पी एफ योजना के अंतर्गत नहीं आती थीं। संस्थाओं में एकरूपता बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने एन आई ई एल आई टी के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान ई पी एफ योजना के कार्यान्वयन को मार्च 2013 में 01 जनवरी 2003 से प्रभावी करने की मंजूरी दी थी। तुरंत शासी परिषद के अनुमोदन के बाद, एन आई ई एल आई टी मुख्यालय ने अपने कर्मचारियों से अप्रैल 2013 के वेतन से ई पी एफ अंशदान की वसूली करना शुरू कर दिया। लेखापरीक्षा ने फरवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान वर्ष 2011 से 2020 तक एन आई ई एल आई टी केंद्रों के संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा की। यह देखा गया कि एन आई ई एल आई टी चंडीगढ़ ने सभी प्रकार के कर्मचारियों (संविदात्मक और नियमित), के वेतन से ई पी एफ के लिए मासिक अंशदान की कटौती की। लेकिन नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान का हिस्सा 28 से 1,825 दिनों तक की देरी के साथ ई पी एफ कार्यालय को प्रेषित किया गया था। एन आई ई एल आई टी मुख्यालय और एन आई ई एल आई टी गोरखपुर द्वारा ई पी एफ अंशदान को क्रमशः 731 दिनों और 1,002 दिनों तक की देरी से जमा किया गया था, जिसका विवरण नीचे दी गई **तालिका 4.3** में दिया गया है -

तालिका 4.3: ई पी एफ प्रेषण में देरी का विवरण

(₹ लाख में)

एन आई ई एल आई टी केंद्र	योजना/ परियोजना के तहत लगे कर्मचारी	अवधि	देरी से जमा करने के दिन	जुर्माने की राशि/ भुगतान किया गया ब्याज
चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश सरकार के स्कूलो में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को आई टी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तकनीकी जनशक्ति/ शिक्षक प्रदान करना।	2010-11 to 2016-17	28 - 740	18.72
	एन सी पी यू एल (नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज) की सी ए बी ए-एम डी टी पी (कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग एण्ड मल्टीलिगुंअल डी टी पी) योजना के तहत आई टी शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्य तकनीकी शिक्षक प्रदान करना।	2014-15 से 2019-20	28 - 760	16.79
	पंजाब सरकार और चंडीगढ़ यू टी के विभिन्न विभागों जैसे पी एस टी एस (पंजाब राज्य परिवहन संस्था), पी ई पी एस (पंजाब ई-पंचायत संस्था), चंडीगढ़ परिवहन को तकनीकी जनशक्ति सहायता प्रदान करना।	2014-15 से 2019-20	28 - 1,126	7.78
	नियमित कर्मचारी	2013-14 से 2019-20	28 - 1,825	2.84
	एन सी पी यू एल का ड्रीम प्रोजेक्ट	2014-15 से 2017-18	28 - 212	0.99
मुख्यालय दिल्ली	नियमित कर्मचारी	2013-14 से 2017-18	28 - 731	22.90
गोरखपुर	नियमित कर्मचारी	2012-13 से 2015-16	1,002	1.69
कुल				**71.71**

इस प्रकार, विभिन्न अवसरों पर कर्मचारियों के लिए ₹18.88 करोड़ (प्रत्येक नियोक्ता और कर्मचारी के ₹9.44 करोड़) की राशि के ई पी एफ अंशदान को एन आई ई एल आई टी प्राधिकरण द्वारा संबंधित ई पी एफ ओ को समय पर प्रेषित करने में विफलता के कारण, अधिनियम की धारा 14बी एवं 7क्यू के अंतर्गत एन आई ई एल आई टी मुख्यालय एवं एन

आई ई एल आई टी केन्द्र चण्डीगढ़ एवं गोरखपुर पर बकाया का 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की वार्षिक दर से ₹71.71 लाख क्षति के लिए शास्ति और ब्याज लगाया गया। आगे की जांच से पता चला कि एन आई ई एल आई टी चंडीगढ़ द्वारा नवंबर 2015 से जून 2020 के दौरान सात अवसरों[45] पर, एन आई ई एल आई टी, गोरखपुर द्वारा एक अवसर पर (05 जुलाई 2016) और एन आई ई एल आई टी मुख्यालय द्वारा एक अवसर पर (15 अप्रैल 2019) शास्ति का भुगतान किया गया । यदि एन आई ई एल आई टी ने संबंधित ई पी एफ ओ को ई पी एफ अंशदान का समय पर प्रेषण किया होता तो इस भुगतान से बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, एन आई ई एल आई टी, चंडीगढ़ ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की और कहा (जनवरी 2021) कि ई पी एफ अंशदान में देरी, संविदात्मक कर्मचारियों के वेतन के प्रसंस्करण में हुई देरी के कारण थी क्योंकि यह अखिल भारतीय एन सी पी यू एल के लगभग 325 केंद्रों को जनशक्ति प्रदान कर रहा था। जब और जैसे भी उपस्थिति का विवरण प्राप्त हुआ ई पी एफ की कटौती के बाद वेतन दिया गया और अंशदान ई पी एफ ओ के पास जमा कर दिया गया। इसके अलावा, यह कहा गया था कि नव नियुक्त शिक्षक के मामले में, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू ए एन) के आवंटन के लिए आवश्यक दस्तावेज अक्सर देर से प्राप्त होते थे या उन्हें ठीक करने की आवश्यकता होती थी। एन आई ई एल आई टी मुख्यालय दिल्ली ने कहा (अक्टूबर 2020) कि ई पी एफ अधिकारियों से स्थापना कोड प्राप्त करने के बाद, संबंधित केंद्रों को अपने ई पी एफ अंशदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा करने के लिए मुख्यालय को अग्रेषित करने के लिए सूचित किया गया था। ई पी एफ अंशदान के विवरण सहित प्राप्त होने पर मुख्यालय ने अंशदान जमा कर दिया। एन आई ई एल आई टी गोरखपुर ने बताया (जून 2021) कि क्षेत्रीय ई पी एफ कार्यालय गोरखपुर द्वारा खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान की अवधि के लिए शास्ति का भुगतान किया गया था।

मंत्रालय ने एन आई ई एल आई टी के उत्तर का समर्थन किया (अक्टूबर 2021) और कहा कि पिछले वर्षों के दौरान ई पी एफ के विलम्बित प्रेषण पर ब्याज और क्षति का किया गया भुगतान विभिन्न कारणों से अपरिहार्य था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ई पी एफ के विलंबित भुगतान के कारण होने वाले क्षति के भुगतान को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

प्रबंधन के उत्तर जो खाता खोलने सहित विभिन्न प्रशासनिक देरियों के लिए ई पी एफ ओ को शास्ति के भुगतान की पुष्टि करते हैं, यह दर्शाते है कि एन आई ई एल आई टी के क्षेत्रीय केंद्र और मुख्यालय समय पर सांविधिक देय राशि के भुगतान में सतर्क नहीं थे। यहां यह

---

[45] ₹47,11,409 = ₹2,26,542 (09.11.2015) + ₹29,49,424 (18.01.2017) + ₹4,23,709 (20.02.2020) + ₹57,980 (07.02.2020) + ₹4,90,927 (08.02.2020) + ₹2,72,592 (20.02.2020) + ₹2,90,235 (05.06.2020)

उल्लेख करना उचित है कि चंडीगढ़ केंद्र ने नवंबर 2015 से जून 2020 तक सात अवसरों पर ब्याज और शास्ति का भुगतान किया, जो यह दर्शाता है कि संविधिक बकाया राशि के प्रेषण को गंभीरता से नही लिया गया था। इसके अलावा सी पी एफ से ई पी एफ योजना में प्रवास के संबंध में, एन आई ई एल आई टी को परिवर्तन काल से पूर्व आवश्यक तैयारी करनी चाहिए थी। एन आई ई एल आई टी, मुख्यालय ने अप्रैल 2013 से जुलाई 2017 की अवधि के दौरान लगभग हर महीने देरी से मासिक अंशदान अधिकतम 731 दिनों तक की देरी के साथ जमा किया।

इस प्रकार, एन आई ई एल आई टी द्वारा ई पी एफ ओ को बकाया राशि के समय पर प्रेषण की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ई पी एफ अंशदान के विलम्बित प्रेषण के लिए ब्याज और क्षति प्रभार के रुप में ₹71.71 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि

ब्याज और क्षति प्रभार से बचने के लिए कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ता के ई पी एफ अंशदान को संबंधित ई पी एफ कार्यालय में नियत तारीख तक जमा करना एक सांविधिक आवश्यकता है। मंत्रालय इससे संबंधित को सांविधिक आवश्यकता का पालन करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है और कर्मचारियों को ई पी एफ ओ द्वारा एन आई ई एल आई टी पर लगाए गए शास्ति प्रभार के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा सकता है।